



Neutral Citation No. – 2026:AHC:163470

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या – 9353/2026

मनीष मिश्रा

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : अथर्व दीक्षित, गिरजा शंकर मिश्रा, प्रणव तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रतिवादी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या– 89

माननीय न्यायमूर्ति राज बीर सिंह

1. आज अदालत में दाखिल पूरक हलफनामा अभिलेख पर ले लिया गया है।
2. आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनीष तिवारी तथा उनके सहायक अधिवक्ता श्री अथर्व दीक्षित और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
3. आवेदक की ओर से यह वर्तमान दूसरी जमानत आवेदन, मुकदमा अपराध संख्या 109/2022, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत, थाना गोपीगंज, जिला

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



भदोही में आवेदक को जमानत पर रिहा करने के अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया गया है। आवेदक का पहला जमानत आवेदन दिनांक 03.12.2025 के आदेश के तहत पैरवी के अभाव में खारिज कर दिया गया था।

4. आवेदक के सीनियर वकील ने तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे राजनीतिक दुश्मनी के कारण इस मामले में झूठा फंसाया गया है। ऐसा कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है कि आवेदक गैंगस्टर है या किसी गैंग का सदस्य था। मामले के तथ्यों का हवाला देते हुए कहा गया कि आवेदक के खिलाफ कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है। यह भी बताया गया कि आवेदक पहले ही लगभग चार साल और दो महीने की हिरासत काट चुका है और सह-आरोपियों – गिरधारी प्रसाद पाठक, हनुमान सेवक पांडे, सुरेश केसरवानी, सतीश मिश्रा और विकास मिश्रा उर्फ ज्योति – को इस कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है। आवेदक के खिलाफ दिखाए गए 25 मामलों के आपराधिक इतिहास के बारे में भी उचित स्पष्टीकरण दिया गया है। आखिर में, यह कहा गया कि अगर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा।

5. विद्वान ए.जी.ए ने जमानत की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और उस पर 25 मामले दर्ज हैं। साथ ही, मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के सात गवाहों से पूछताछ हो चुकी है और मुकदमे की कार्यवाही काफी आगे बढ़ चुकी है। यह भी कहा गया कि अगर आवेदक को जमानत दी जाती है, तो वह दूसरे मामलों में सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। मामले के तथ्यों का जिक्र करते हुए यह तर्क दिया गया कि आवेदक पर गंभीर आरोप हैं और जमानत के लिए कोई आधार नहीं बनता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. पत्रावली से यह प्रतीत होता है कि आवेदक ने पहले ही लगभग चार वर्ष और दो माह की हिरासत काट ली है और इस न्यायालय द्वारा उपर्युक्त सह-अभियुक्तों को पहले ही जमानत दी जा चुकी है। इन तथ्यों के मद्देनजर, केवल आपराधिक इतिहास के आधार पर जमानत आवेदन को खारिज करना न्यायसंगत और उचित नहीं होगा।

7. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों तथा मामले की समस्त परिस्थितियों व तथ्यों, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक लगभग चार वर्ष और दो महीने की अवधि की हिरासत भुगत चुका है, गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जमानत का आधार बनता है। अतः वर्तमान द्वितीय जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

8. उक्त अपराध में शामिल आवेदक **मनीष मिश्रा** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत मुचलका और दो स्थानीय जमानतदार पेश करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

- i. आवेदक मुकदमे के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा या उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।
- iii. आवेदक तय तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने पेश होगा, सिवाय उस स्थिति के जब उसे व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट मिली हो।
- iv. आवेदक मामले की सूचना देने वाले या किसी भी गवाह से संपर्क करने, उन्हें धमकाने या किसी अन्य तरह से प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय कानून के अनुसार आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति राज बीर सिंह)

5 अगस्त 2026

आनंद

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”